महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी को भुला कर कांवड़ यात्रा में जुटी जनता

फरीदाबाद (म.मो.) यातायात के तमाम नियमों को धता बताते हुए लाखों की संख्या में कांवड़ ढोने के लिये जनता सड़कों पर उमड़ी जा रही है। भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार कोई कोर-कसर न छोड़ते हुए हर तरह की सुविधा उन्हें प्रदान कर रही है। उनके लिये विशेष रेलगाड़ियां व बसें चलाई जा रही हैं। पाठक भूले नहीं होंगे कि दो साल पूर्व कोरोना काल में इसी देश की जनता को छोटे-छोटे बच्चों के साथ सैंकड़ों-हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ी थी। उस वक्त स्पेशल तो क्या नॉरमल गाड़ियां तक भी नहीं चलने दी गई थी। इस अभियान में सैंकड़ों गरीब आपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे।

पैदल भक्तों के अलावा कांवड़ियों के अनेकों गिरोह अपनी-अपनी क्षमता अनुसार छोटे-बड़े ट्रकों द्वारा इस यात्रा को सम्पन्न करते हैं। इन ट्रकों पर अति उच्च ध्वनि के वाद्य यंत्र (डीजे) आदि बजाते हुए पूरी सड़क को घेर कर ये लोग चलते हैं। गौरतलब है कि बीसियों लोग ट्रक में सवार रहते हैं और इतने ही लोग ट्रक के आगे-आगे चलते हैं। जाहिर है कि ऐसे में ट्रक भी धीमी गति से चलते हुए अच्छा-

खासा वायु प्रदूषण करते हैं। वाद्य यंत्रों की आवाज इतनी बुलंद होती है कि आस-पास के घरों की खिड़कियों के शीशे खरखराने लगते हैं और कई बार तो टूट भी जाते हैं। इन भक्तों पर न ध्वनि प्रदूषण कानून, न वायु प्रदूषण और न ही कोई यातायात का कानून लागू होता है।

सावन का महीना शुरू होते ही शिव के जलाविषेक करने हेतु गंगा से जल लाने की प्रथा बहुत पुरानी है, लेकिन उस वक्त इसकी आड़ में वह हुड़दंगबाज़ी नहीं होती थी जो आज हो रही है। उस समय श्रद्धालु बड़े प्रेम-भाव से शान्तिपूर्वक गंगा तट की ओर जाते थे और ऐसे ही जल भरी कांवड़ लेकर आते थे, रास्ते में कहीं कोई झगड़ा-फसाद नहीं होता था। लेकिन इसके विपरित आज तमाम सड़कों पर भारी पुलिस प्रबन्ध के बावजूद झगड़े-फसाद की खबरें सुनने को मिल जाती है। बेशक कांवड़ यात्रा की ड्यूटी में जुटी पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, फ़िर भी वे इस बात से संतुष्ट रहते हैं कि इस दौरान आपराधिक वारदातों की संख्या बहुत घट जाती है।

कांवड़ियों के रास्ते जगह-जगह विश्राम शिविर बनाये जाते हैं जहां पर खाने-पीने तथा विश्राम की उचित व्यवस्था विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री अजय सिंह विष्ट के उत्तर प्रदेश में तो इनके ऊपर हेलिकॉप्टरों द्वारा फूल वर्षा कर इनको प्रात्साहित किया जाता है। सरकार इतना सब कुछ करे भी क्यों न, क्योंकि धर्म की यही तो वह अफ़ीम है जिसकी पीनक में इन भक्तों को महंगाई, बेरोजगारी तथा भुखमरी आदि कुछ नहीं दिखता, दिखता है तो केवल धर्म एवं भगवान।

भक्तों के विश्वास को इतना दृढ़ बना दिया जाता है कि वे अपने तमाम दुखों का निवारण उसी में खोजते हैं और खोजते, खोजते पीढ़ी दर पीढ़ी खोजते ही रह जाते हैं। इस पीनक में वे कभी भी अपने शोषण करने वाले असली शोषकों को पहचानने का प्रयास तक नहीं कर पाते।

मनोहर लाल लाडले के बचाव में उतरे कृष्णपाल; कहा, 'कोई बता दे कि अदलखा ने किसी से दो रुपये भी मांगे हों तो'

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 11 जुलाई को बड़खल स्थित ग्रे फाल्कन में आयोजित प्रेसवार्ता में स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर ने, भ्रष्टाचार में आरोपित तथा गिरफ्तारी से बचने के लिये फरार चल रहे धनेश अदलखा को ईमानदार एवं पाक-साफ़ होने का प्रमाणपत्र देते हुए कहा कि वे उन्हें बीते 15-20 साल से जानते हैं। इस दौरान वे दो बार खुद व एक बार उनकी माताजी पार्षद रही हैं। आज तक किसी ने भी उनके खिलाफ़ किसी काम के बदले दो रुपये लेने तक कि शिकायत उन्हें नहीं की।

उनका यह जवाब दैनिक जागरण के स्थानीय ब्यूरो चीफ़ सुशील भाटिया के उस सवाल पर था जिसमें उन्होंने पूछा था कि अदलखा के विरुद्ध दर्ज हुई एफ़आईआर पर उनका क्या कहना है? कृष्णपाल ने उक्त जवाब के अतिरिक्त एफआईआर की व्याख्या करते हुए कहा कि एफआईआर तो केवल, पुलिस को दी गई प्रथम सूचना मात्र होती है। इसे कोई भी किसी के खिलाफ़ दर्ज करा सकता है। इसके दर्ज होने से कोई दोषी नहीं बन जाता। अपनी बात को और अस्पष्ट करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ और तुम मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हो।

दोषी-निर्दोषी तो तफ्तीश के बाद ही पता चलता है। इसके लिये विजिलेंस वाले अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्हें पूरी पावर है कि वे तथ्यों की छान-बीन के आधार पर किसी के दोषी या निर्दोष होने का निर्णय करें।

एफ़आईआर को लेकर कृष्णपाल द्वारा

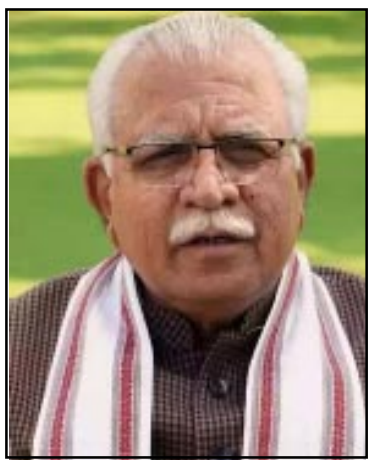

कही गई बात अर्ध सत्य है। वे तो जिसके खिलाफ़ चाहें झूठी एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं जबकि उनके विरुद्ध तो कोई सच्ची एफआईआर भी आसानी से दर्ज नहीं करा सकता। वैसे भी किसी आम आदमी द्वारा थाने में एफआईआर दर्ज कराना आसान नहीं है। चोरी एवं छीना-झपटी की वारदात को कोई भी पुलिस वाला आसानी से दर्ज नहीं करता। इस तरह की वारदात को गुमशुदगी में दर्ज करने का प्रयास किया जाता है।

प्रभावशाली लोगों द्वारा झूठी एफआईआर दर्ज कराकर किसी भी अच्छे भले आदमी का उत्पीड़न पुलिस के द्वारा कराया जाना आम बात है। इसका ताज़ा तरीन उदाहरण ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार मोहम्मद जुबैर सामने हैं। खुद इस अखबार के सम्पादक सतीश कुमार के विरुद्ध 14 अगस्त 2019 को एक झूठी एफआईआर दर्ज करा कर उनका उत्पीड़न करने का प्रयास इन्हीं मंत्रीजी की पुलिस ने किया था जिसे हाईकोर्ट ने विफ़ल कर दिया था।

रही बात अदलखा द्वारा किसी से भी दो रुपये न लेने की तो सर्वविदित है कि उस जैसे सत्ता के लाडले दो-दो रुपये लेने वाले काम नहीं किया करते, ऐसे लोग मोटे-मोटे माल मारते हैं। नगर निगम के फाइनेंस कमेटी में कहने को तो मेयर चेयरमेन होती है परन्तु वास्तविक चेयरमेन अदलखा ही होते थे। अपनी इस सख्ती का जम कर दुरुपयोग करते हुए निगम को इन्होंने दोनों हाथों से लूटा है। नगर के अनेकों पार्कों की देख-रेख का ठेका इन्होंने अपने साले को दिला रखा है जो इसकी आड़ में जमकर लूट कमाई कर रहा है।

फार्मेसी की लूट-कमाई का भांडा तो चौड़े में फूट ही चुका है। जिन्होंने मोटी रिश्वतें इन्हें दी हैं वे तो सामने आ ही चुके हैं, इसके अलावा वे अनेकों लोग भी सामने आने लगे हैं जो इनको रिश्वत न दे सकने की वजह से फार्मेसिस्ट का लाइसेंस प्राप्त न कर सके और नौकरी हाथ से निकल गई।

समझने वाली बात यह है कि आखिर यह सरकार ने लाइसेंस की दुकानदारी खोल ही क्यों रखी है? जिस संस्थान से कोई भी फार्मेसिस्ट का कोर्स पास कर लेता है तो वहां का दिया हुआ प्रमाणपत्र ही पर्याप्त क्यों नहीं समझा जाता? अगर सरकार को जांच ही करनी है तो ऐसे कोर्स कराने वाले संस्थानों की जांच क्यों नहीं कराते? इतना ही नहीं हर पांच साल के बाद लाइसेंस के रिन्यूअल का मतलब केवल और केवल लूट कमाई ही नहीं तो और क्या है?

अजरोंदा मोड़ को जलभराव मुक्त करने के नाम पर 4 करोड़ डकारेंगे

फ़रीदाबाद (म.मो.) नीलम आरओबी से हाईवे की तरफ़ उतरते समय बरसात के दिनों में जाम लगना आम बात है। जहां आरओबी की सड़क हाईवे से मिलती है वहां जरा सी बारिश होने पर एक से डेढ़ फुट पानी खड़ा हो जाता है। इसके चलते बड़े वाहन तो जैसे-तैसे निकल जाते हैं लेकिन छोटे वाहन या तो इसमें फंस जाते हैं या खड़े हो जाते हैं। जाहिर है कि ऐसे में सारा आरओबी इस कदर जाम हो जाता है कि नीलम चौक तक वाहनों की लाइने लग जाती है। इससे न केवल आरओबी का यातायात प्रभावित होता है बल्कि नीलम चौक के आस-पास पर यातायात भी ठप्प हो जाता है।

इससे निपटने के लिये फ़रीदाबाद महानगर डेवलप्मेंट ऑथोरिटी ने चार करोड़ का बजट बनाया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस भारी-भरकम रकम से 140 मीटर लम्बी कंक्रीट की सड़क बनाई जायेगी। विदित है कि हाईवे का निर्माण एवं रख-रखाव पूरी तरह से राजमार्ग प्राधिकरण के पास है। इस पर जलभराव से निपटने के लिये प्राधिकरण जगह-जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना रहा है। बेशक उन्हें यह समझ देर से आई लेकिन आई तो सही।

ऐसे में समझ से परे की बात है कि एफएमडीए चार करोड़ की सड़क आखिर बनायेगी कहां? यदि हाईवे के ऊपर जबरदस्ती बना भी देगी तो जलभराव का पानी जायेगा कहां? विदित है कि किसी जमाने में इस स्थान पर कोई जल भराव नहीं होता था। पानी सदैव अपना रास्ता खुद बना कर निकलता रहा है। जब अवैध एवं अनियोजित निर्माण उस क्षेत्र में कर दिये गये तो जल भराव शुरू हो गया। एफएमडीए ने चार करोड़ डकारने की योजना तो सोच ली है लेकिन यह नहीं बताते कि पानी जायेगा कहां?

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।